classmate
Date 1
Page

# 1892 का एक्ट

भारत में उन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की उन्नति तथा वृद्धि के कारण बहुत बड़ी जागृति उत्पन्न हो गई थी और विदेशी राज के विरुद्ध जनता में बड़ा भारी रोष था इसलिए 1888 में कांग्रेस बनाई जो भारत में किए जाने वाले सुधारों के बारे में सुझाव देती थी। डफरिन ने गृह सरकार को सुझाव भेजा, "अंग्रेजी सरकार अपनी किसी तरह की जिम्मेदारी कम किए बिना भारतीयों को शासन में अधिक भाग दे। गवर्नर जनरल की विधान परिषद को कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए किंतु इस हेतु उन्हें आवश्यकता के अनुसार कुछ, रुकावटें लगाने का अधिकार दिया जाए। प्रांतों की विधानसभाओं का विस्तार किया जाए, उनमें से कुछ चुने हुए सदस्य शामिल किए जाएं, परंतु संसदीय सरकार शुरू न की जाए क्योंकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग है और ब्रिटिश सरकार की जिम्मेवारी है कि भारत की ब्रिटिश प्रजा में न्याय स्थापित करे।" बाद में ब्रिटिश सरकार

ने इन सुझावों के अनुसार 1892 में एक अधिनियम पास किया। यह 20 जून, 1892 को संसद का अधिनियम बन गया।

मुख्य उपबंध

1892 का एक्ट केवल एक संशोधन विधेयक था, इसलिए मात्र सरकार की बनावट मुख्यतः 1861 के अधिनियम के अनुसार ही रही।

1 - गवर्नर-जनरल की विधान परिषद तथा बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों का विस्तार —

अधिनियम में कहा गया कि वायसराय को यह अधिकार होगा कि वह अपनी कार्यकारिणी परिषद का कानून बनाने के लिए विस्तार कर सकेगा। इस हेतु कम-से-कम दस और अधिक से अधिक 16 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होगा। इसी तरह कानून बनाने के लिए बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को भी अपनी 2 कौंसिल में कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20 अतिरिक्त सदस्यों की

और बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए 1892 के एक्ट के अनुसार कुछ नियमों के अंदर रहकर विधान परिषदों के सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद से छोटे मामलों के प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ये अधिकार G.G की विधान परिषद तथा प्रांतीय विधान परिषदों को दिए गए। G.G तथा उसकी परिषद और गवर्नरों तथा उनकी परिषदों को इन विषयों में नियम बनाने का अधिकार दिया गया।

चूंकि परिषद के नियमों ने विषय निर्धारित नहीं किया था इसलिए विधान परिषद का अध्यक्ष किसी भी विषय को बिना कारण बताए उत्तर देने से इंकार कर सकता था। जिसे वह समझता था कि यह सार्वजनिक हित के विरुद्ध है।

प्रांतीय परिषदों में सदस्यों को प्रशासन के बारे में प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दी गई, ये सिर्फ स्थानीय प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते थे। इसके अलावे स्थानीय मामले, प्रशासन, उपपरिषद, G.G तथा भारत सचिव में कोई विवाद होता था, उसके बारे

नियुक्ति का अधिकार दिया गया।

2. बंगाल और उत्तर प्रदेश की कानूनी कौंसिलों का विस्तार — G.G को यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी कौंसिल (परिषद) की सलाह से बंगाल की कौंसिल के अधिक से अधिक 20 और उत्तर प्रदेश के लिए 15 सदस्य बढ़ा सके।

3. गवर्नर जनरल को सदस्यों की नियुक्ति के बारे में नियम बनाने का अधिकार दिया गया — वह अपनी परिषद की सहायता से सदस्यों की नियुक्ति के बारे में नियम बना सके परंतु इस विषय में भारत सचिव की स्वीकृति आवश्यक थी।

4 — विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि — 1861 के एक्ट के अनुसार विधान परिषदों को केवल कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, उन्हें कार्यकारिणी से परिषद से प्रश्न पूछने

से विधान परिषद को प्रश्न पूछने की मनाही थी। कोई भी प्रश्न केवल तथ्य को जानने के लिए ही पूछा जा सकता था और उसका उत्तर भी उसी तक सीमित होता था। इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया था, वह सरकार की स्वेच्छा इच्छा पर निर्भर था।

5. गवर्नर जनरल तथा लेफ्टीनेंट गवर्नरों को अपनी परिषद के खाली स्थान भरने की आज्ञा दी गई। यदि कोई सदस्य लगातार दो महीने विधान परिषद की बैठक में भाग नहीं लेता था तो उसका स्थान खाली घोषित किया जा सकता था। यदि किसी की मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र आ जाए ऐसी स्थिति में वे अपनी-अपनी परिषद में नामजद कर सकते थे।

6. प्रांतीय परिषदों को कानून बनाने और रद्द करने के अधिकार दिए गए — लेकिन इस हेतु G.G. की पहले स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती

थी। यदि G.G कोई विशेष आवश्यकता समझता, तो वह अपनी विधान परिषद की सहायता से प्रांतों के लिए कानून बना सकता था।

7. G.G की विधान परिषद तथा विधान परिषदों में सरकारी अधिकारियों का बहुमत रखा गया ताकि सरकार को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। इन परिषदों में चुने हुए सदस्य बहुत ही थोड़े थे। अधिकतर गैर सरकारी अधिकारी भी प्रायः नामजद ही किए जाते थे।

8. इसी यूनिवर्सिटियों, जिला बोर्ड, नगरपालिकाओं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा प्रांतीय परिषदों को कुछ सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया।

## 1892 के अधिनियम का महत्व

यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके द्वारा भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और उनको पहली बार बजट पर बहस करने

classmate
Date
Page 4

तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कहा जाता है कि इसके द्वारा संसदीय सरकार की अप्रत्यक्ष रूप से नींव रख दी गई, चाहे ब्रिटिश सरकार इस बात से साफ इंकार करती रही।

सदस्यों को जो प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया उसके द्वारा वे थोड़ा सा कार्यकारिणी परिषद को प्रभावित कर सकते थे। इस एक्ट में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रथा आरंभ की गई।

## आलोचना

भारतीयों में उस समय राष्ट्रीय भावनाएँ जागृत हो रही थी इसलिए उनको 1892 के एक्ट से कोई संतुष्टि नहीं हुई। सारांश के रूप में दादाभाई नौरोजी ने कहा "इस अधिनियम के अधीन किसी भी सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने अथवा परिषद् में किसी वित्तीय विवाद पर मतदान करवाने या अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा प्रश्न पर मतदान की माँग करने का अधिकार नहीं होगा।

भारतीयों को दी गई रियायतों का
यह असंतोषजनक स्वरूप है। इस
अधिनियम के अधीन बनाए हुए
नियमों में विधान परिषदों की बैठकों
में कोई संशोधन नहीं किया जा
सकेगा। इस तरह हम सभी बातों
में एक निरंकुश शासन के अधीन
हैं।"